

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 382] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 1970/आश्विन 30, 1892

No. 382] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 1970/ASVINA 30, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October 1970

S.O. 3487.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary or expedient so to do for the development of export trade of India that transmission line towers shall be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this notification in the official Gazette to the Export Inspection Council, "World Trade Centre", 14/1B, Ezra Street, 7th floor, Calcutta-1.

Proposals

(1) To notify that transmission line towers shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Transmission Line Towers (Quality Control and Inspection) Rules, 1970, set out in the Annexure to this notification as the type of quality control and inspection which would be applied to such transmission line towers;

(3) To recognise the contractual specifications as agreed upon between the buyer and the seller as the standard specifications for transmission line towers;

(4) To prohibit the export, in the course of international trade of such transmission line towers unless the same are accompanied by a certificate issued by any of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the transmission line towers are export-worthy.

3. Definition.—In this notification “transmission line tower” means any tower used for the purpose of transmission of electrical energy by means of electric conductors or aerial mast, sub-station structure, micro-wave tower, floodlit post, ropeway structure, railway electrification structure, oil rig structure and shall include the parts thereof.

ANNEXURE

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Transmission Line Towers (Quality Control and Inspection) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the.....

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) ‘agency’ means any one of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) ‘transmission line tower’ means any tower used for the purpose of transmission of electrical energy by means of electric conductors, or aerial mast, sub-station structure, micro-wave tower, floodlit post, ropeway structure, railway electrification structure, oil rig structure and shall include the parts thereof.

3. Manufacturer to be experienced.—The manufacturer of transmission line towers shall have adequate experience in the manufacture of transmission line towers. The experience shall be deemed adequate if the manufacturer has satisfactorily executed at least two projects in India as evidenced by certificates produced by the manufacturer from his Indian clients. Further, he shall have adequate design and load testing facilities or have access to such facilities.

4. Quality Control and Inspection.—(1) The quality of the transmission line towers shall be ensured by exercising the following controls at different stages of manufacture together with the levels of control specified in the Schedule attached to these rules.

(i) **Bought out materials and components.**—(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerances.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a supplier's test certificate corroborating the requirements of the purchase specification in which case occasional check, at least once in three months shall be conducted by the purchaser for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test certificate, or in the absence of such test certificates, samples from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specifications.

For the purpose of counter-checking in case of steel sections, tensile strength testing shall be considered adequate.

(c) The sampling for inspection and tests to be carried out shall be based on recorded investigation.

(d) After the inspection and tests are carried out, systematic methods shall be adopted for proper segregation and disposal of defectives.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be systematically maintained.

(ii) **Process control.**—(a) Equipment, instrumentation and facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specifications.

(b) Adequate records shall be maintained to enable the verification of the controls exercised during the process of manufacture.

(iii) **Product control.**—(a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the standard specification.

(b) Adequate records in respect of above tests shall be systematically maintained.

(iv) **Packing control.**—(a) Packing shall be in accordance with the stipulations in the standard specifications.

(b) The wooden packages, if any, shall be well finished and shall have a good presentability. They shall also withstand the following tests, namely:—

(i) **Drop test** (for cases upto a weight of 37 kg) The packages shall be dropped from a height of 120 cm once on the largest flat surface, once on the longest edge and once on any corner of its own. No damage shall be caused to either the package or its contents.

(ii) **Rolling test** (for cases weighing more than 37 kg) The package shall be subject to rolling on its sides either 6 metres forward and 6 metres backward or 12 metres in one direction only and shall not cause any damage to either itself or its contents.

(iii) **Water spraying test.**—The package shall be allowed to be exposed against a water spray equivalent to a normal sudden monsoon shower for five minutes and the contents inside shall not be affected.

(2) **Inspection.**—The inspection of transmission line towers intended for export shall be carried out with a view to seeing that the above mentioned controls have been exercised at the relevant levels satisfactorily and the transmission line towers conform to the standard specifications.

5. **Procedure of inspection.**—(1) The exporter shall give intimation in writing to the agency under whose jurisdiction the factory from which it is intended to export falls and submit along with such intimation a declaration that the consignment of transmission line towers has been or is being manufactured by exercising quality control measures as per controls referred to under rule 4 and that the consignment conforms to the requirements of the specifications recognised for this purpose. Complete details of contractual specifications shall be made available to the agency whenever required.

(2) The exporter or manufacturer shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency not less than seven days prior to the despatch of the consignments from the exporter's or manufacturer's premises.

(4) On receipt of the intimation and declaration under sub-rules (1) and (2), the agency, on satisfying itself that during the process of manufacture, adequate quality controls, specified under rule 4 have been exercised and after further such inspection or testing as considered necessary to ensure conformity of the consignment to the standards specification, shall issue a certificate that the consignment satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is export-worthy.

6. **Place of inspection.**—Every inspection under these rules shall be carried out at the premises of the manufacturer.

7. **Inspection fees.**—A fee at the rate of twenty paise for every hundred rupees of f. o. b. value of each consignment shall be paid by the exporter to the agency as inspection fees under rule 5.

8. **Appeal.**—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule (5), may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three persons, appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The decision of the said panel of experts on such appeal shall be final.

THE SCHEDULE

(See rule 4)

Sl. No.	Details of test/inspection	Requirement	No. of samples to be tested	Lot Size
1.	Dimensions with tolerance on fasteners	As per standard specifications recognised for the purpose	To be fixed on the basis of a recorded investigation	Each consignment
2.	<i>For tower members</i>			
	(a) Excess holes & missing holes	Nil	Each item	Do.
	(b) Length	As per standard specifications recognised for the purpose	Do.	Do.
	(c) Bending	Do.	Do.	Do.
	(d) Open and close end	Do.	Do.	Do.
	(e) Chipping	Do.	Do.	Do.
	(f) Surface defects	Do.	Do.	Do.
	(g) Straightness	Do.	Do.	Do.
	(h) Stamping	Do.	Do.	Do.
3.	<i>Galvanising</i>			
	(a) Unpickled black spots	Do.	Do.	Do.
	(b) Flux marks	Do.	Do.	Do.
	(c) Spikes, globules of spelter	Do.	Do.	Do.
	(d) Heavy tile marks	Do.	Do.	Do.
	(e) Invisibility of stamp marks due to very thick coating	Do.	Do.	Do.
	(f) Thickness of zinc deposit	Do.	Three pieces	Each ship's production
	(g) Uniformity of coating	Do.	Do.	Do.
4.	Assembly	Do.	One prototype	Towers of each type
5.	Loading tests	Do.	Do.	As required by the buyers

[No. 60(7)/69-Exp. Insp.]

K. S. BHATNAGAR

विदेशी व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली 22 अक्टूबर 1970

का० खा०: 3487—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है कि निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचरण लाइन टावर निर्यात से पूर्व गुण नियंत्रण और निरीक्षण के अध्वधीन होंगे,

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 11 के उपनियम 2 की अपेक्षानुसार उन्हें निर्यात निरीक्षण परिषद् को अर्पित किया है ;

अतः प्रब उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त प्रस्तावों को एतद्वारा संभव्यतः प्रभावित होने वाली जनता की सूचना के लिए प्रकाशित करती है ।

2. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति जो उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आशय या सुझाव भेजने का इच्छुक हों इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख के तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् "वर्ल्ड ट्रेड सेंटर", 14/1-थ्रो एजरा स्ट्रीट कलकत्ता-1 को भेज सकता है ।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि संचरण लाइन टावर निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे ;

(2) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के उक्त प्रकार को इस अधिसूचना के उपाखण्ड में उपबर्णित संचरण लाइन टावर का निर्यात (गुण नियंत्रण) नियम 1970 के प्रारूप के अनुसार गुण नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के ऐसे रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसे संचरण लाइन टावरों को लागू होगा,

(3) श्रेता और विश्रेता के बीच यथा करार किए गए संविदागत विनिर्देशों को संचरण लाइन टावरों के लिए मानक विनिर्देश के रूप में मान्यता देना ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे संचरण लाइन टावरों का तब तक प्रतिषेध करना जब तक कि उनके साथ निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस प्रभाव का प्रमाण पत्र न हो कि संचरण लाइन टावर निर्यात योग्य हैं ।

3. परिभाषा—इस अधिसूचना में "संचरण लाइन टावर" से विद्युत ऊर्जा के विद्युत चालकों या एरियल मास्ट उप-स्टेशन संरचना, सूक्ष्म तरंग टावर, फ्लडलिट स्तंभ ऋजु मार्ग संरचना, रेल विद्युतिकरण संरचना, तेल रिग संरचना के द्वारा संचरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त टावर अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत उसके पुर्जे सम्मिलित होंगे ।

उपाखण्ड

निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्थापित प्रारूप नियम ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) ये नियम संचरण लाइन टावर का निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) "अभिकरण" से निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली में स्थित में से कोई एक निर्यात निरीक्षण अभिकरण अभिप्रेत है।
- (ख) "संचरण लाइन टावर" से विद्युत ऊर्जा के विद्युत चालकों या ऐरियल मास्ट, उप-स्टेशन संरचना, सूक्ष्म तरंग टावर, फ्लड-लिट स्तंभ, ऋज्यु मार्ग संरचना, रेल विद्युतीकरण संरचना, तेल रिग संरचना के द्वारा संचार के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त टावर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके पुर्जे सम्मिलित होंगे।

3. विनिर्माता का अनुभव होना:—संचरण लाइन टावर के विनिर्माता को संचरण लाइन टावर के विनिर्माण में पर्याप्त अनुभव होगा। पर्याप्त अनुभव तब समझा जाएगा यदि विनिर्माता ने समाधान प्रद रूप से भारत में कम से कम दो परियोजनाएँ निष्पादित कर ली हों जैसा कि विनिर्माता द्वारा उसके भारतीय ग्राहक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों के प्रस्तुत करने से साक्षित हो। यह और कि उसके पास डिजाइन और भार परीक्षण की पर्याप्त सुविधाएँ होंगी या ऐसी सुविधाएँ उसे उपलब्ध होंगी।

4. गुण नियंत्रण और निरीक्षण

- (1) संचरण लाइन टावरों की गुण विनिर्माण की विभिन्न अवस्थाओं पर निम्नलिखित नियंत्रणों के द्वारा तथा इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियंत्रण के स्तरों के साथ सुनिश्चित की जायेगी।

(i) कर की गई सामग्री और संघटक

- (क) ऋय विनिर्देश, विनिर्माता द्वारा, प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री या संघटकों के गुण धर्मों को और उनकी विस्तृत विभागों को गुंजाइश सहित सम्मिलित करते हुए, अधिकथित किए जाएंगे।
- (ख) स्वीकृत परेक्षण के साथ या तो प्रदायक का ऋय निविर्देश की अपेक्षाओं को संतुष्ट करते हुए परीक्षण प्रमाण पत्र लगा होगा जिस दशा में क्रेता द्वारा किसी विशेष प्रदायक के लिये पूर्वोक्त परीक्षण प्रमाण पत्र की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए यदा कदा जांच कम से कम तीन मास में एक बार, की जाएगी या ऐसे परीक्षण प्रमाणपत्र न होने की दशा में, प्रत्येक परेक्षण से तमूने उनकी, ऋय विनिर्देश के अनुसार, अनुरूपता की जांच करने के लिए नियमित रूप से परीक्षित किए जाएंगे।

इस्रात परिच्छेदों की दशा में प्रति जांच के प्रयोजन के लिए तदन शक्ति परीक्षण पर्याप्त समझी जाएगी।

- (ग) निरीक्षण के लिए तमूने लेना और किए जाने वाले परीक्षण अभिलिखित अन्वेषण पर आधारित होंगे।
- (घ) निरीक्षण और परीक्षण किए जाने के पश्चात् दोषमुक्तों के उचित पृथक्करण और निपटाने के लिए प्रायिक रीतियाँ अपनाई जायेंगी।
- (ङ) ऊपर वर्णित नियंत्रणों की बावत पर्याप्त अभिलेख प्रायिकतः बनाये रखे जायेंगे।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण

- (क) प्रक्रिया विनिर्देशों में यथा अधिकृत प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपस्कर, उपकरण, और सुविधाएं होंगी।
- (ख) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान किए गए नियंत्रणों के स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अभिलेख बनाए रखे जायेंगे।

(iii) उत्पाद नियंत्रण—

- (क) मानक विनिर्देश के अनुसार उत्पाद के परीक्षण के लिए या तो विनिर्माता के पास अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या कहीं और विद्यमान सुविधाएं उसे उपलब्ध होंगी।
- (ख) उपरोक्त परीक्षणों की बाबत पर्याप्त अभिलेख प्राधिकृत बनाये रखे जाएंगे।

(iv) पैकिंग नियंत्रण

- (क) पैकिंग मानक विनिर्देशों में के अनुबंधों के अनुसार होगी।
- (ख) काष्ठ पैकेज, यदि कोई हों, भली प्रकार तैयार किए जायेंगे और अच्छे दिखाई देने वाले होंगे। वे निम्नलिखित परीक्षण भी सहन करेंगे, अर्थात् :—
 - (i) **पोल परीक्षण** (37 कि० ग्रा० तक के भार वाली पेटियों के लिये) पैकेज 120 सें० मी० की ऊंचाई से एक बार सबसे बड़े चपटे तल के बल पर, एक बार सबसे लम्बे किनारे के बल पर और एक बार इसके किसी भी कोने के बल पर गिराया जाएगा। पैकेज या इसकी अर्न्तवस्तु को कोई नुकसान नहीं होगी।
 - (ii) **लुंठन परीक्षण** (37 कि० ग्रा० से अधिक भार वाली पेटियों के लिये) पैकेज अपनी बगलों पर या 6 मीटर आगे और 6 मीटर पीछे या 12 मीटर तक एक ही दिशा में लुंठन किए जाने के अध्वधीन होंगे और इससे या तो इसको या इसकी अर्न्तवस्तु को कोई नुकसान नहीं होगा।
 - (iii) **जल छिड़काव परीक्षण** पैकेज सामान्य अचानक मानसून बौछार के समतुल्य जल छिड़काव के लिए 5 मिनट तक खुला छोड़ा जायेगा और अन्दर की अर्न्तवस्तुएं प्रभावित नहीं होंगी।
- (2) **निरीक्षण** : निर्यात के लिए आशयित संचरण लाइन टावरों का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से किया जाएगा कि ऊपरवर्णित नियंत्रण सुसंगत स्तरों पर समाधानप्रद रूप से किए गए हैं और संचरण लाइन टावरें मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

5. निरीक्षण की प्रक्रिया

- (1) निर्यात कर्ता उस अधिकरण को, जिसकी अधिकारिता के अधीन वह कारखाना आता है जिससे निर्यात करना आशयित है, लिखित रूप में प्रज्ञापना देगा और ऐसी, प्रज्ञापन के साथ एक घोषणा देगा कि संचरण लाइन टावरों का परेक्षण नियम 4 के अधीन निदिष्ट नियंत्रणों के अनुसार गुण नियंत्रण उपायों को करते हुए विनिर्माण किया गया है या किया जा रहा है और परेक्षण इस प्रयोजना के लिए मान्यता प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है। संविदा गत विनिर्देशों के सम्पूर्ण व्योरे जब कभी अपेक्षित हों अधिकरण को उपलब्ध कराए जाएंगे।

- (2) नियति कर्ता या विनिर्माता अभिकरण को परेखण पर लगाए गए पहचान चिह्न भी प्रस्तुत करेगा ।
- (3) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक प्रज्ञापना और घोषणा अभिकरण के कार्यालय को नियतिकर्ता या विनिर्माता के परिसर से परेखण के प्रेषण से सात दिन से अन्यून पूर्व पहुंचेगी :
- (4) उपनियम (1) और (2) के अधीन प्रज्ञापना और घोषणा प्राप्त करने पर अभिकरण अपना यह समाधान करने पर, कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नियम 4 में विनिर्दिष्ट पर्याप्त गुण नियंत्रण प्रयुक्त किए गए थे और ऐसे और निरीक्षण और परीक्षण करने के पश्चात् जैसा कि परेखण की अनुरूपता को मानक विनिर्देश के अनुसार सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जायें, एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि परेखण गुण नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तें पूरी करता है और नियति के योग्य है ।

6. निरीक्षण का स्थान—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण विनिर्माता के परिसर पर निष्पादित किया जाएगा ।

7. निरीक्षण फीस—नियतिकर्ता अभिकरण को नियम 5 के अधीन निरीक्षण फीस के रूप में प्रत्येक परेखण के लिए पोट पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रति एक सौ रुपये पर बीस पैसे की दर से फीस संवत्त करेगा ।

8. अपील

- (1) अभिकरण द्वारा नियम 5 के उपनियम (4) के अधीन प्रमाणपत्र देने से इन्कार करने के कारण व्यक्ति कोई व्यक्ति, उसे ऐसे इन्कार की संसूचना की प्राप्ति के दस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त तीन से अन्यून व्यक्तियों के विशेषज्ञों के एक पेनल को अपील कर सकता है ।
- (2) ऐसी अपील पर विशेषज्ञों के उक्त पेनल का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

अनुसूची

(नियम 4 देखिए)

क्रम सं०	परीक्षण/निरीक्षण के व्योरे	उपेक्षाएं	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या	लाट आकार
1	2	3	4	5
1	बन्धकों पर गुंजाइश सहित विभाएं	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित अन्वेषण आधार पर नियत किया जाएगा	प्रत्येक परेखण
2	टावर के अंगों के लिए			
	(क) अधिक छिद्र और सुप्त छिद्र	कुछ नहीं	प्रत्येक मद	यथोक्त

1	2	3	4	5
	(ख) लम्बाई	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	यथोक्त	यथोक्त
	(ग) बंकम	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	(घ) खुले ग्रीर बन्ध सिरे	„	„	„
	(ङ) छंटाई	„	„	„
	(च) तल दोष	„	„	„
	(छ) सीधा पन	„	„	„
	(ज) स्टाम्पित करना	„	„	„
3	जस्ता चढ़ाना।			
	(क) अनघुले काले धब्बे	„	„	„
	(ख) फलक्स चिन्ह	„	„	„
	(ग) जस्ते की नोंकें या गोलिकाएँ	„	„	„
	(घ) भारी टाईल चिन्ह	„	„	„
	(ङ) अधिक गाढ़े लेपन के कारण स्टाम्प चिन्हों का दिखाई न देना।	„	„	„
	(च) जस्ते के निक्षेप की मोटाई	यथोक्त	तीन भाग	प्रत्येक पारो का उत्पादन
	(छ) लेपन की एक समानता	„	यथोक्त	यथोक्त
4	सज्जीकरण	„	एक भावि प्ररूप	प्रत्येक प्रकार का टावर
5	भार परीक्षण	„	यथोक्त	जैसा कैता द्वारा अपेक्षित हो।

[सं० 60(7)/69-एक्स० इन्स्पे]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।

